रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, सोमवार जुलाई 24, 1972/श्रावण 2 1894

No. 172] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 1972 SRAVANA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th July 1972

SUBJECT.—*Special facilities for Indians returning from/residing abroad.*

No. 110-ITC(PN)/72.—Attention is invited to para 2 of Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 96-ITC(PN)/72, dated 1st July, 1972 wherein it was stated that the prescribed form in which a declaration regarding foreign currency balances by the Indian nationals residing abroad will be noticed separately.

2. The prescribed form of declaration to be furnished by the Indian nationals residing abroad is given in the Appendix to this Public Notice. The declaration is required to be submitted in duplicate, original copy of which may be submitted to the Chief Controller of Imports & Exports (Special Cell) alongwith the application for import of machinery, raw materials/components and the duplicate copy of the declaration may be forwarded to the Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Central Office, Bombay.

3. In this connection attention is also invited to para 122(3)(ii) and (5) of Section I of the I.T.C. Policy Red Book (Vol. I) for April 1972—March 1973. It is clarified that only those persons who have returned to India would need the Reserve Bank's permission to retain their foreign exchange earnings abroad in terms of Public Notice No. 96-ITC(PN)/72, dated 1st July, 1972 and that so long as Indian nationals continue to be residents outside India, no permission from the Reserve Bank for holding their earnings abroad is necessary. In such cases a declaration in the prescribed form in terms of para 2 referred to above is required to be given. In all cases where funds retained abroad are required to be utilised for financing imports of machinery, raw materials and components into India, regular import licences with Exchange Control Copy will be granted with the following endorsement:—

"Not available for remittance from India. Payment to be made out of foreign currency account of the importer."

4. Provisions of para 122(3) of Section I of the Import Trade Control Policy Book (Vol. I) for April 1972—March 1973 may be deemed to have been modified accordingly.

APPENDIX

Declaration to be completed by persons of Indian nationality/origin resident abroad who wish to apply for import of machinery/raw materials/components into India against payment out of their foreign currency earnings.

NOTE.—Please complete this form in duplicate. Original copy may be submitted to the Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi, alongwith the application for import of machinery, etc. and the duplicate may be forwarded to the Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Central Office, Bombay, for its information.

1. Full name and address abroad.

2. Present nationality.

3. Country of birth.

4. Academic qualifications.

5. Country of residence.

6. How long have you been staying in the above country and what is your occupation?

7. Whether you intend to come and settle down in India and, if so, probably date/period of your arrival.

8. Details of accounts maintained abroad:—

Name (s) and address (es) of the bank (s) with whom the account (s) is/are kept.	Type of account (s) i. e. Current, Savings, Fixed Deposits, etc.	Whether held singly or jointly with any other person (s); if latter, the name relationship and present address of the joint account-holder.	Present balance in the account (s).
(i)			
(ii)			
(iii)			

9. Source of funds in the account(s).

10. Value of machinery etc. to be imported into India and source of funds out of which payment will be made for the machinery.

11. If the funds to be utilised for the purchase of the machinery etc. represent your earnings from employment, please state the name and address of the employer(s); in case you are/were employed by any firm or company, the place of its head office/registered office may also be mentioned.

12. Type of industrial undertaking proposed to be set up in India and name and address of the person/firm who will manage it.

I hereby confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief and that payment for the machinery etc. to be imported

into India have been/will be made out of my savings from earnings in countries outside India. I undertake to declare to the Reserve Bank of India, in the event of my returning to India, all my foreign currency holdings abroad within a period of 30 days of my arrival in the country.

Signature of the applicant.

Place:

Date:

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1972

विषय.—विदेशों से लौटने वाले/विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए विशेष सुविधाएं।

संख्या 110—आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या: 96—आई० टी० सी (पी एन)/72, दिनांक 1 जुलाई, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह बताया गया था कि वह निर्धारित प्रपत्र जिसमें विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा विदेशी मुद्रा संतुलनों के सम्बन्ध में घोषणा दी जानी थी उसे अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

2. विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा दी जाने वाली घोषणा का निर्धारित प्रपत्र इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दिया जाता है। घोषणा दो प्रतियों में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उसकी मूल प्रति को मशीन, कच्चे माल/संघटकों के लिए आवेदन-पत्र के साथ मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (विशेष कक्ष) को प्रस्तुत किया जाए तथा उसकी अनुलिपि प्रति रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग, नियंत्रण अधिकारी, बम्बई को अग्रसारित की जाए।

3. इस संबंध में अप्रैल 1972—मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 122(3)(ii) तथा (5) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को विदेशों में अर्जित उनकी विदेशी मुद्रा को रोक रख रहने के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 96—आई० टी० सी० (पी एन)/72, दिनांक 1—7—72 की शर्तों के अनुसार रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की जरुरत होगी जो भारत में लौट आए हैं और वे भारतीय राष्ट्रिक जो अभी विदेशों में रह रहे हैं, उनको विदेशों में उनके द्वारा अर्जित मुद्रा को रोक रख रहने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मामलों में, ऊपर उल्लिखित कंडिका 2 की शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में घोषणा दिया जाना अपेक्षित है। उन सभा मामलों में जिन में भारत में मशीन, कच्चे माल और संघटकों के आयात को अर्थयुक्त करने के लिए विदेशों में रोक रखी गई निधि का उपयोग किया जाना आवश्यक है, तो निम्नलिखित पृष्ठांकनों के साथ मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के साथ नियमित आयात लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे:—

> "भारत से प्रेषण के लिए उपलब्ध नहीं है। भुगतान आयातक के विदेशी मुद्रा लेखे से किया जाना है।"

4. अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापर नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 122(3) को तदनुसार आशोधित किया गया समझा जाए।

परिशिष्ट

विदेश में रहने वाले —भारतीय राष्ट्रिकता / मूल के ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूर्ण किए जाने वाला घोषणा प्रपत्र जो विदेश में कमाई गई अपनी विदेशी मुद्रा में से भुगतान के मद्दे भारत में मशीनों/कच्चे माल/संघटकों का आयात करने के लिए इच्छुक है।

टिप्पणी.—कृपया इस प्रपत्र को दो प्रतियों में भरें/मूल प्रति मशीन आदि के आयात के लिए आवेदन पत्र के साथ मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजी जाए और अनुलिपि प्रति रिजर्व बैंक आफ इंडिया मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई को उनकी सूचना के लिए अग्रसारित की जाए।

(1) पूरा नाम तथा विदेश में पता :

(2) वर्तमान राष्ट्रिकता:

(3) मातृ-भूमि:

(4) शैक्षिक योग्यता:

(5) निवास-देश:

(6) आप कब से उपर्युक्त देश में रह रहे हैं और आपका व्यवसाय क्या है ?

(7) क्या आपका इरादा भारत में आने और यहीं रहने का है, यदि हां, तो आप के पहुंचने की अनुमाननीय तिथि/अवधि क्या है ?

(8) विदेश में रखे गए लेखों के विवरण :—

जिस बैंक (बैंकों) में खाता (खाते) रखा गया है/रखे गए हैं उस (उन) का नाम और पता (पते)	खाता (खाते) किस प्रकार का है जैसे चालू, बचत, आवधिक निक्षेप आदि।	क्या आपका खाता अकेले का है या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ साझा है, यदि बाद वाला हो तो साझा खाता-धारक का नाम उसके साथ संबंध क्या है तथा पता क्या है ?	खाता / खातों में वर्तमान बकाया
(i)			
(ii)			
(iii)			

(9) खाता (खातों) में निधियों के स्रोत:

(10) भारत में आयात की जाने वाली मशीन आदि का मूल्य और निधियों के स्रोत जिन में से मशीन के लिए भुगतान किया जाएगा ।

(11) यदि मशीन आदि के लिए निधि का उपयोग किया जाना है तो रोजगार द्वारा हुई कमाई बताएं, कृपया नियोजक (नियोजकों) का नाम और पता दें, यदि आप किसी फर्म अथवा कम्पनी द्वारा नियुक्त किए गए हैं/थे तो उसके मुख्य कार्यलय/पंजीकृत कार्यलय के स्थान को भी संकेतित किया जाए ।

(12) भारत में स्थापित किया जाने वाला अनुमानित औद्योगिक संस्थान किस प्रकार का है और उस व्यक्ति/फर्म का नाम और पता क्या है जो इसकी व्यवस्था करेगा ?

मैं एतद् द्वारा पुष्टि करता हूं कि उपर्युक्त दिए गए विवरण मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास में सही हैं और भारत में आयात की जाने वाली मशीन आदि का भुगतान भारत से बाहर देशों में की गई कमाई से अपनी बचत में से किया गया है/किया जाएगा मैं वचन देता हूं कि मेरे भारत लौटने की स्थिति में, मेरे भारत पहुंचने के : 0 दिनों की अवधि के भीतर ही मैं रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को विदेश में कमाई हुई सारी विदेशी मुद्रा की घोषणा करुंगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972